

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 15/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 927(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और उप धारा (3) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) क्रम संख्या 13 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"स्पष्टीकरण: - इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ -

- (i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और
- (ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।";

- (ii) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सी बी आई सी -190354/316/2022-टी आर यु सेक्शन -सी बी इ सी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या- 9/2017 -एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2022- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जूलाई, 2022 सा.का.नि 545 (अ), दिनांक 13 जूलाई, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 15/2022 - Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 927(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, subsection (1) and sub-section (3) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) against S. No. 13, in column (3), after the entry, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation. - For the purpose of exemption under this entry, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where, -

- (i) the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence; and
- (ii) such renting is on his own account and not that of the proprietorship concern.”;

(ii) S. No 24A and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 01st January, 2023.

[F.No. CBIC-190354/316/2022-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 04/2022 - Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022 published in the official gazette vide number G.S.R. 545(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 15/2022- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 928(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और (3), और धारा 21 के उपवाक्य (iv) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"स्पष्टीकरण: - इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ कि -

- (i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और
- (ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।";

(ii) क्रम संख्या 23क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सी बी आई सी -190354/316/2022-टी आर यु सेक्शन -सी बी इ सी]

राजीव रंजन, अवर सचिव